उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 पिटीसन वाद सं0 02/2018–19

मणिकान्त यादव.....आवेदक।

बनाम

सरकार.....विपक्षी।

आदेश

11.10.2022

यह रे0मि0 पिटीसन वाद आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची के डब्लू0पी0 (सी0) नं0–1599/2018 में पारित आदेश दिनांक–18.06.2018 के आलोक में दायर किया गया है। इस पर अंचल अधिकारी, सरैयाहाट जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दुमका एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी, दुमका से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। उक्त के आलोक में क्रमशः अंचल अधिकारी, सरैयाहाट के पत्रांक–1197/रा0, दिनांक–24.09.22 जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दुमका के पत्रांक–1020/जि0भू0अ0, दुमका दिनांक–09.09.22 एवं बंदोबस्त पदाधिकारी संथाल परगना, दुमका का पत्रांक–584/II/बन्दो0 दिनांक–27.09.22 के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है।

अभिलेख में उल्लेखित मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

मौजा झिलवा भेलबड़ी अंचल सरैयाहाट के जमाबंदी नं0–04 गत गैंजर सर्वे सेटेलमेंट में काली महतो के नाम से पर्चा में दर्ज है। आवेदकगण जमाबंदी रैयत के पोतागण है एवं वे उक्त जमीन का दखल करते हुए लगान रसीद का नियमित रूप से भुगतान करते है, उक्त जमाबंदी के दाग सं0–243 रकवा 2.23 एकड़ जमीन पर अंचल अधिकारी, सरैयाहाट द्वारा एफ0सी0आई0 गोदाम का निर्माण किया जा रहा था। उक्त निर्माण कार्य को बंद रखने हेतु आवेदकों द्वारा माननीय आयुक्त संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका एवं इस न्यायालय में आवेदन दाखिल किया था, किन्तु उन्हें किसी प्रकार का राहत नहीं मिला। फलतः आवेदक के द्वारा वे माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में डब्लू0पी0(सी0)

1599/2018 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश के आलोक में यह मामला दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकार के पक्ष से सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों को अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है–

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत दाग सं0–243 जमाबंदी सं0–04 बाड़ी II रकवा 2.23 एकड़ जमीन आवेदकों की नीजि जमाबंदी जमीन है, जो अहस्तांतरणीय है। इस जमीन को न तो गेंजर जमाबंदी रैयत और न तो आवेदकों के पिता द्वारा एफ0सी0आई0 गोदाम के लिए हस्तांतरण किया गया है अतः निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाय एवं जमीन को जमाबंदी रैयत को वापस की जाय।

सरकारी अधिवक्ता का प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है :–

प्रश्नगत जमीन सरकारी जमीन है जो वर्तमान सर्वे खतियान में अंचल कार्यालय राजस्व विभाग के नाम से दर्ज है। ऐसी स्थिति में आवेदको को दावा गलत है।

अंचल अधिकारी, सरैयाहाट, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी, दुमका द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य :–

दिनांक–03.06.2022 के आदेशानुसार अंचल अधिकारी, सरैयाहाट जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दुमका एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी, दुमका से प्रश्नगत दाग जमीन की अधिग्रहण के संबंध में जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, सरैयाहाट, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दुमका तथा बन्दोबस्त पदाधिकारी, दुमका से क्रमशः पत्रांक–1197/रा0 दिनांक–24.09.2022,पत्रांक–1020/जि0भू0अ0 दिनांक–09.09.22 एवं पत्रांक–584 II/बन्दो दिनांक–27.09.22 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है।

अंचल अधिकारी, सरैयाहाट द्वार प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत जमीन जमाबंदी नं0–4 के अन्तर्गत

दाग सं0–243 काली महतो वल्द गुरू महतो के नाम से गत गैंजर सर्वे में दर्ज है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दुमका द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में प्रश्नगत दाग का भू–अर्जन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है का उल्लेख है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी, दुमका द्वारा प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा झिलवा भेलवाड़ी थाना– 25 अंचल सरैयाहाट अन्तर्गत साबिक जमाबंदी नं0–04 काली महतो वल्द गुरू महतो के नाम से दर्ज है, जिसमें कुल 07 खेसरा है, जो क्रमशः 143, 144, 243,336,368,377 एवं 406 है तथा कुल रकवा 3.68 एकड़ दर्ज है। गेंजर सर्वे के साबिक जमाबंदी नं0–4 के खेसरा सं0–243 एवं अन्य साबिक खाता सं0–2,11,23, एवं 7 के अन्य खेसरा नं0–787 बना है, जो हाल जमाबंदी नं0–102 अंचल कार्यालय राजस्व विभाग के नाम से दर्ज है।

निष्कर्ष

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत दाग सं0–243 जमाबंदी नं0–04 के अन्तर्गत काली महरा वल्द गुरू महतो के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, सरैयाहाट एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी, दुमका द्वारा प्रतिवेदन में प्रश्नगत जमीन अधिग्रहण/भू–अर्जन के संबंध में कोई प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है, परन्तु यह स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत जमीन दाग सं0–243 एवं अन्य साविक खाता नं0– 2,11,23 एवं 7 के अन्य खेसरा के साथ मिलकर नया खेसरा 787 बना है, जो हाल जमाबंदी नं0–102 **अंचल कार्यालय राजस्व विभाग के नाम से दर्ज है।** चुँकि हाल सर्वे का उक्त जमाबंदी का अंतिम प्रकाशन हो चुका है, ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा इस पर किसी प्रकार का आदेश पारित किया विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

उपरोक्त उल्लेखित तथ्य एवं उपलब्ध कागजातों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत दाग जमीन एवं अन्य दागो को मिलाकर हाल सर्वे में जमाबंदी सं0–102 अंचल कार्यालय राजस्व विभाग के नाम से दर्ज है, तथा इसका अंतिम प्रकाशन भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में इस पर किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आवेदक सक्षम न्यायालय में अपना दावा प्रस्तुत कर करने हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित

11/10/-

उपायुक्त,
दुमका।

11/10/-

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 17:12:02 +05:30
Location: 169.254.227.244

लगातार